

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (अवकाश पर)।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC अनुशंसित/द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9273/2022	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	10470/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	10460/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	10452/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	10467/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10437/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10466/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	10439/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	10468/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	10462/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	10453/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	10451/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9523/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	10440/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10469/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
16.	10438/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10593/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व की अनुशंसा अनुसार EC स्वीकृत
18.	10629/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	10632/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	10633/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	10631/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 816वी बैठक दिनांक 09.11.2023
का कार्यवाही विवरण**

22.	10630/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9855/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	10473/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10475/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	10474/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
27.	7956/2020	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	10483/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	10490/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	10489/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	10486/2023	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
32.	10477/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
33.	10485/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
34.	10479/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
35.	10316/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
36.	10323/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
37.	10293/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
38.	10322/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
39.	10505/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशासित नहीं	निरस्त
40.	10494/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
41.	10498/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
42.	10506/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
43.	10510/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
44.	10496/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
45.	10497/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
46.	10500/2023	1(a)	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
47.	10499/2023	1(a)	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
48.	10495	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **Case No 9273/2022:** Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" at Khasra No. 150/2, 150/1, 151, 152/1, 154/2, 153, 152/2, Zone-1 (Garha), Colony - Sagda Tripuri, Dist. Jabalpur (MP). (Total Project Area = 22271 sqm., Built-up Area = 66058.54 sqm) by M/s Adavita Developers and Promoters Pvt. Ltd, K-6, First Floor, Khandelwal Complex, Opp. UBI Near Guljar Hotel, Madan Mahal, Dist. Jabalpur, MP Cat.- 8(a) Building and Construction Projects.

1. उक्त प्रकरण "श्रीराम हाइट्स" ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट खसरा नंबर 150/2, 150/1, 151, 152/1, 154/2, 153, 152/2, जोन-1 (गढ़ा), कॉलोनी सगड़ा त्रिपुरी, जिला. जबलपुर (मप्र) में 22271 वर्गमीटर क्षेत्र पर आवासीय भवन परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना मेसर्स अद्वैत डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत विचाराधीन है।
2. आवासीय भवन परियोजना के निर्माण के लिए कुल भूखंड क्षेत्र-22271 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्र-66058.54 वर्गमीटर है। यह परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 एवं आज तक संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची के प्रोजेक्ट/गतिविधि भवन एवं निर्माण परियोजना के अंतर्गत 8(ए) में आता है।

SEAC के कार्यवाही विवरण एवं समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना में शामिल जमीन परियोजना का ही लागत का हिस्सा है अतः यह छूट मान्य न करते हुए परियोजना पर आवेदन दिनांक तक किये गए व्यय प्राप्त सीए के प्रमाण पत्र रु. 1737.83 लाख प्रस्तुत किया गया है, को मान्य करते हुए उल्लंघन की स्वतः सूचना को ध्यान में रखते हुए खर्च की गई लागत पर 0.5 प्रतिशत अर्थात् रु 8.72 लाख (भूमि लागत के साथ) का अर्थदंड मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अधिरोपित होगा।

SEAC अनुशंसा के आधार पर समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को रुपये 9.0 लाख (उपचार की लागत और प्राकृतिक के रूप में सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना में प्रस्तावित राशि के बराबर) तीन साल की वैधता के साथ बैंक गारंटी एम पी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना होगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08/03/2018 और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07/07/21 में क्लॉज (12a) निहित प्रावधान के अनुसार SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- 1- परियोजना प्रस्तावक की Remediation and Natural Community Resource Augmentation plan के प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, भोपाल अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- 2- पर्यावरण उल्लंघन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया दिनांक 07.07.2021 के कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत की दर से रु. 9.0


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

लाख का अर्थदंड मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा करना होगा।

- 3- Remediation and Natural Community Resource Augmentation plan हेतु राशि रुपये 9.0 लाख के कार्यों हेतु प्रस्तावित समस्त कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करेगा।
- 4- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के साथ पठित धारा 15 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07/07/21 के कार्यालय ज्ञापन के खंड 11, चरण 2 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गए पर्यावरण उल्लंघन हेतु credible एक्शन दायर किया जायेगा।
- 5- परियोजना के लिये पानी की आवश्यकता नगर निगम, के माध्यम से की जावेगी, अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जावेगा।
- 6- MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे:-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- 7- परियोजना हेतु पार्किंग प्रस्ताव अनुसार आरक्षित स्थानों पर व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, इस आरक्षित पार्किंग क्षेत्र का अन्य उपयोग नहीं किया जावेगा।
- 8- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 (यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। भवनों के चारों ओर फायर ब्रिगेड के वाहन को घूमने हेतु पर्याप्त चौड़ाई के मार्ग बनाना अनिवार्य होगा।
- 9- परियोजना स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने हेतु पर्याप्तमात्रा में चार्जिंग पाइंट रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- 10- प्राधिकरण एवं SEAC समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गए वचन बध्यता के उल्लंघन की दशा में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 11- उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों के सभी निर्णयों एवं निर्देशों के अधीन रहेगी

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु 1 से 11 को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट-4 सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

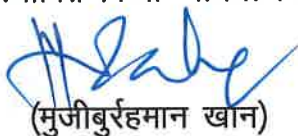
परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही जारी की जा सकेगी।

1. Remediation and augmentation plan के प्रस्तावित कार्यों हेतु तीन साल की वैधता के साथ राशि रु. 9.0 लाख की बैंक गारंटी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करने के पश्चात्।
 2. मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार परियोजना पर अधिरोपित अर्थदण्ड रु. 8.72 लाख मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा करना होगा।
 3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण उल्लंघन हेतु credible एक्शन दायर किये गए किये जाने की कार्यवाही का प्रमाण।
2. प्रकरण क्र. 10470/2023 परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मड़ोरी, तहसील लिधोरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

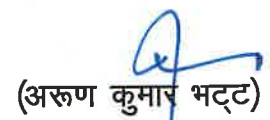
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी।
इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 15600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मड़ोरी, तहसील लिधोरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 10460/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम इकोदिया बेलका, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार सर्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023
का कार्यवाही विवरण**

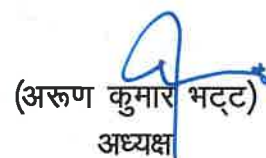
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम इकोदिया बेलका, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

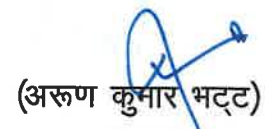
4. प्रकरण क्र. 10452/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 163, ग्राम ढिमरोली, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 500 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- ✓I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

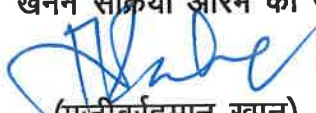
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 163, ग्राम ढिमरोली, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 10467/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 276, ग्राम झागर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

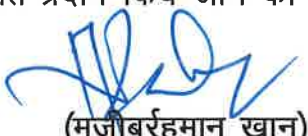
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 276, ग्राम झागर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 10437/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2040 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम माथनी, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2040 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम माथनी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र. 10466/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अरुण श्रीवास्तव, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 66000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 63, ग्राम छिंदगांवकाछी, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

”.....प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिये गये अंक्षास-देशांस सही नी होने के कारण खनन योजना में दिये गये अंक्षास-देशांस के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा खनिज अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शित अंक्षास-देशांस आवश्यक संशोधन कर रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करे ।.....”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10439/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 330, ग्राम हिवराखण्डेरायवार, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान 2.00 हेक्टेयर की परिलक्षित है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छिन्दवाड़ा द्वारा दिये गये एकल प्रमाण में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं होना बताया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 330, ग्राम हिवराखण्डेरायवार, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

9. प्रकरण क्र. 10468/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 67000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम जुन्हैटा, तहसील वनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 67000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम जुन्हैटा, तहसील वनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र 10462/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., प्रो. श्री राजेन्द्र पोरवाल आत्मज श्री नंदलाल पोरवाल, निवासी- 06, संजीत रोड़ जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 62283 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.13 हेक्टेयर, खसरा 452, 453, ग्राम ढगरानिया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 816वी बैठक दिनांक 09.11.2023
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वी बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 687वी बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., प्रो. श्री राजेन्द्र पोरवाल आत्मज श्री नंदलाल पोरवाल, निवासी- 06, संजीत रोड़ जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 62283 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.13 हेक्टेयर, खसरा 452, 453, ग्राम ढगरानिया, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के पत्र क्र. 750 दिनांक 16.05.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. प्रकरण क्र. 10453/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3750 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 17, ग्राम सिरावली, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है :-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सिरावली द्वारा ठहराव प्रस्ताव में निम्नानुसार अंकित किया गया है :-

"ग्राम पंचायत सिरावली जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 13/07/23 अनुसार उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया कि उक्त खदान जो कि लरेठी (कुरवाई) स्टॉप डेम से पूरे 12 महीने लगभग 50 फीट पानी में डूबी रहती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार ओपन रेत नहीं है।"

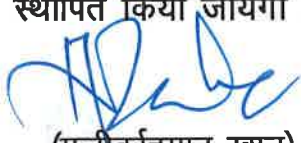
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार "लरेठी (कुरवाई) स्टॉप डेम से पूरे 12 महीने लगभग 50 फीट पानी में डूबी रहती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार ओपन रेत नहीं है" के दृष्टिगत प्रस्तावित खदान से रेत का उत्खनन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

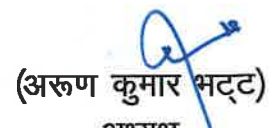
12. प्रकरण क्र. 10451/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2925 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 223, ग्राम खरतरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

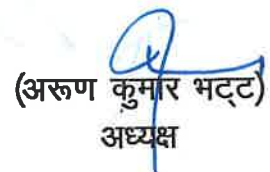
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2925 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 223, ग्राम खरतरी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र 9523/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक तिवारी आत्मज श्री अनिल तिवारी, निवासी-481/190, एफ-1 अलोपीबाग, जिला प्रयागराज (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15908 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.450 हेक्टेयर, खसरा 81/2, 81/3, 84/2, 84/3, 85/1/2, 85/2, ग्राम हर्रा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वी बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



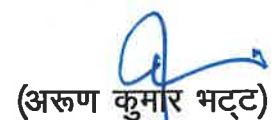
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 687वी बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05/08/2022 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा क्षेत्र से 95 मीटर तक नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चैनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नहीं डालेगा तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक तिवारी आत्मज श्री अनिल तिवारी, निवासी- 481/190, एफ-1 अलोपीबाग, जिला प्रयागराज (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15908 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.450 हेक्टेयर, खसरा 81/2, 81/3, 84/2, 84/3, 85/1/2, 85/2, ग्राम हर्रा, तहसील मरुगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा के पत्र क्र. 3025 दिनांक 14.11.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 10440/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.30 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 439/3, ग्राम बडीवाड़ा, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से रोड़ ब्रिज तक 1 कि.मी. का सेट-बैक देने के बाद उपलब्ध 2.55 हे. क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.30 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 439/3, ग्राम बडीवाड़ा, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र. 10469/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 48,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 148, ग्राम रामपुर, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

..... यह खदान आंजन नदी में स्थित है। खदान की ऊपरी जल धारा पर 140 मीटर लम्बा मेजर ब्रिज स्थित है अतः 1 कि.मी. का सेट-बैक लिया जाना होगा, जिसके पश्चात् खनन योग्य लीज क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि इस माईन को पूर्व में किसी भी प्रकार की पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी गई थी। उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा इस प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु योग्य नहीं पाया। अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 10438/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 126, ग्राम अवरिया, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 126, ग्राम अवरिया, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 10593/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.550 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 02, ग्राम गांधीग्राम, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

..... खनिज अधिकारी संबंधित विभाग से रपटा/ब्रिज की सुरक्षा के संबंध में अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रकरण में SEAC की 686वी बैठक भाग-2 दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा पर प्राधिकरण द्वारा 814वी बैठक दिनांक 19.10.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में SEAC को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10629/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 168, ग्राम हापाखेड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 168, ग्राम हापाखेड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. प्रकरण क्र. 10632/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- ✓VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

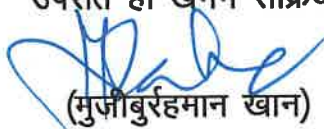
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम मुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

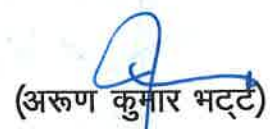
20. प्रकरण क्र. 10633/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम झिरनिया उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

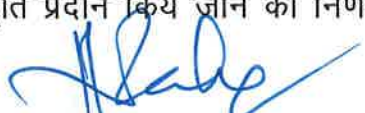
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम झिरनिया उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

21. प्रकरण क्र. 10631/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम देहटा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

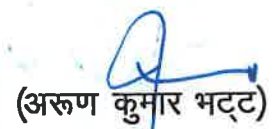

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम देहटा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

22. प्रकरण क्र. 10630/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2150 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम चूनाखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 687वीं बैठक दिनांक 11.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से डाउन स्ट्रीम में न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से रोड़ ब्रिज तक 1 कि.मी. का सेट-बैक देने के बाद उपलब्ध 1.27 हे. क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2150 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम चूनाखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

23. प्रकरण क्र 9855/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जसवंत सिंह राठौर आत्मज श्री हरवंश सिंह राठौर, निवासी- बंगला नं. 01, सदर बाजार कैंट, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24605 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 40, ग्राम जासोड़ा, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री जसवंत सिंह राठौर आत्मज श्री हरवंश सिंह राठौर, निवासी- बंगला नं. 01, सदर बाजार कैंट, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24605 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 40, ग्राम जासोड़ा, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 12110 दिनांक 08.09.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

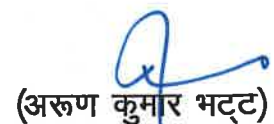
24. प्रकरण क्र. 10473/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम उपरारा चक-2, तहसील लिधोरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी।
इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रपटा रोड़ ब्रिज से डाउन स्ट्रीम में न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से रोड़ ब्रिज तक 1 कि.मी. का सेट-बैक देने के बाद उपलब्ध 1.5 हे. क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम उपरारा चक-2, तहसील लिधोरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 10475/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 13200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 400, ग्राम खेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 13200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 400, ग्राम खेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

26. प्रकरण क्र. 10474/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 14, ग्राम खेरा विजयपुर, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

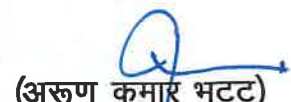
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई KML फाईल अन्य खदान की परिलक्षित हो रही है, जब प्रस्तावित खदान के अनुमोदित खनन योजना में अंकित अक्षांश देशांश का गूगल ईमेज पर परीक्षण किया गया तो खदान का रकबा 10 हेक्टेयर हो रहा है जबकि प्रस्तावित खदान का एरिया 2.00 हेक्टेयर ही स्वीकृत है तथा खदान सरफेस मैप के आधार पर भी नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र 7956/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, अरीन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़ इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता चूनापत्थर 50988 टन प्रतिवर्ष, रकबा 14.424 हेक्टेयर, खसरा 41/1, 42, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 83, 84, 86, 86/2, 87, 88, 108, 106, 107, ग्राम खेड़ी बलवारी, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव

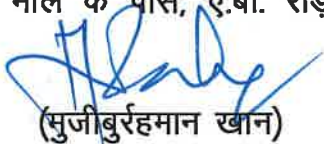

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

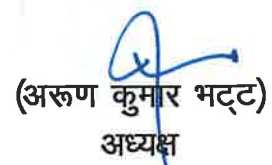
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-स्वामी नर्मदा विकास प्राधिकरण से खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन संक्रिया आरंभ की जायेगी। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनापत्ति की प्रति SEIAA को भी प्रेषित की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नम्बर 86/1 (आदिवासी भू-स्वामी होने के कारण) पर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा। उत्खनन कार्य किये जाने के पूर्व भू-स्वामी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर सत्यापित भू-सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा इसकी प्रति SEIAA को भी प्रेषित जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, अरीन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़ इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विधि), उत्पादन क्षमता चूनापत्थर 50988 टन प्रतिवर्ष, रकबा 14.424 हेक्टेयर, खसरा 41/1, 42, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/2, 83, 84, 86, 86/2, 87, 88, 108, 106, 107, ग्राम खेड़ी बलवारी, तहसील गर्धवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्र. ए- 3-23/2019/12/1 दिनांक 05.01.2021 अनुसार 50 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

28. प्रकरण क्र. 10483/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36414 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 853/1317, ग्राम चाका, तहसील बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36414 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 853/1317, ग्राम चाका, तहसील बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

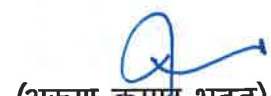
29. प्रकरण क्र. 10490/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2055/2063, ग्राम पोंडीकला, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

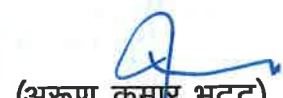
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 70200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2055/2063, ग्राम पोंडीकला, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

30. प्रकरण क्र. 10489/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3900 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 369, ग्राम सुनारी मोहगांव, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

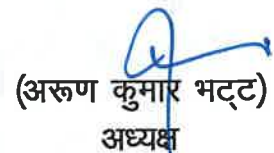
करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3900 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 369, ग्राम सुनारी मोहगांव, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

31. प्रकरण क्र 10486/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र बुन्देला आत्मज श्री मोहनसिंह बुन्देला, निवासी-गणपति मार्ग, नौगांव धार जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा 166/2, ग्राम खादनखुर्द, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र बुन्देला आत्मज श्री मोहनसिंह बुन्देला, निवासी-गणपति मार्ग, नौगांव धार जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा 166/2, ग्राम खादनखुर्द, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार के पत्र क्र. 953 दिनांक 26.04.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

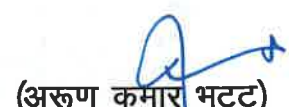
32. प्रकरण क्र. 10477/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विकास मरैया आत्मज श्री शिवदास मरैया, निवासी-मांगरौल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओबरवर्डन 10204 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 898/2, ग्राम कालामढ़, तहसील बैराढ़, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

- (V) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री विकास मरैया आत्मज श्री शिवदास मरैया, निवासी-मांगरौल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओबरवर्डन 10204 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 898/2, ग्राम कालामढ़, तहसील बैराढ़, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 7012 दिनांक 08.06.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

33. प्रकरण क्र. 10485/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 65538 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.640 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 158, 159, ग्राम लुकामपुर, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेशा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 65538 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.640 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 158, 159, ग्राम लुकामपुर, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

34. प्रकरण क्र 10479/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मधु पांसे पत्नि श्री सुखदेव पांसे निवासी— मंगोना कलां, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 746/1/2, 746/2 ग्राम नरखेड़, तहसील प्रभात पट्टन, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (i) बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले तालाब से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मधु पांसे पत्नि श्री सुखदेव पांसे निवासी— मंगोना कलां, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 746/1/2, 746/2 ग्राम नरखेड़, तहसील प्रभात पट्टन, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के पत्र क्र. 926 दिनांक 25.05.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

35. प्रकरण क्र. 10316/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 55, ग्राम गाजनपुर-4, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान को प्राधिकरण की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में निरस्त किया जा चुका है।

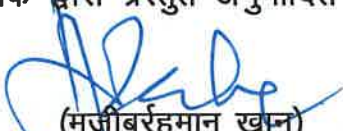
प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्राधिकरण की पूर्व 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को पुनः निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

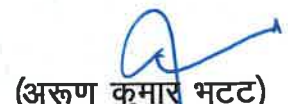
36. प्रकरण क्र. 10323/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 55, ग्राम गाजनपुर-5, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान को प्राधिकरण की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में निरस्त किया जा चुका है।

प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

खदान क्षेत्र के 750 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्राधिकरण की पूर्व 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को पुनः निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 10505/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 57114 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.173 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 64, ग्राम लोढ़ी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वी बैठक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित रेत खदान के 500 मीटर की सीमा के अंतर्गत अन्य प्रस्तावित रेत खदान होने से कुल रकबा 5 हे. से अधिक होने के कारण कलस्टर की स्थिति निर्मित हो गयी है, जिससे विषयांकित रेत खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति बी-2 में प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित खदान को बी-1 कैटेगिरी में नवीन प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में निर्णय लेते हुए परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी के प्रस्ताव को मान्य किया एवं प्रकरण बी-1 कैटेगिरी में सिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEIAA की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 10494/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 449, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 449, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

41. प्रकरण क्र. 10498/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्तावित खदान भी ग्राम मेंहदी में है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

42. प्रकरण क्र. 10506/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 52560 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 567, 568, ग्राम दादर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड़


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ब्रिज से डाउन स्ट्रीम में न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से रोड़ ब्रिज तक 1 कि.मी. का सेट-बैक देने के बाद उपलब्ध 2.92 हे. क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 52560 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 567, 568, ग्राम दादर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

43. प्रकरण क्र. 10510/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैन्युअल विधि), उत्पादन क्षमता 19800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 141, ग्राम रोहना, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 689वी बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 19800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 141, ग्राम रोहना, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

44. प्रकरण क्र. 10496/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल राय आत्मज श्री सत्यप्रकाश राय, निवासी-08, जिजौरा, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा नं. 679/3/2, ग्राम जिजौरा, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689 वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

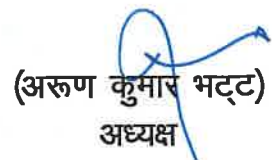

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

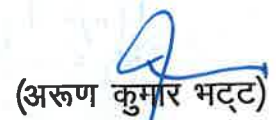
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

45. प्रकरण क्र. 10497/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतना स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री अनिल सिंह परिहार, निवासी-वार्ड नं. 1, नियर ग्रीन फिल्ड स्कूल, विराट नगर, अमौदाकाल, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 716/1/च, ग्राम बम्हौर, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689 वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे ।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये ।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये ।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये ।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्चायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये ।

46. प्रकरण क्र. 10500/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईस्टर्न मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रनव जैन, निवासी-हर्षमऊ, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9387 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.54 हेक्टेयर, खसरा नं. 309/1, 309/2, 330, 331, 332, ग्राम गढ़ी, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

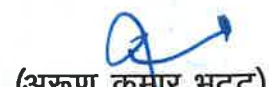
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689 वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

47. प्रकरण क्र. 10499/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ईस्टर्न मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रनव जैन, निवासी-हर्षमऊ, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40648 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.272 हेक्टेयर, खसरा नं. 132, 133, 135, 130, 131/2, ग्राम गढ़ी, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689 वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्क्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

48. प्रकरण क्र. 10495/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री निखिल सिंह आत्मज श्री प्रेमशंकर सिंह, निवासी-एमआईजी-28, प्रथम तल, गोमती कॉलोनी, नेहरू नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6621 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 35310 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 244, 245, ग्राम करदई, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689 वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ईआईए में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)

उक्त आदेश के परिपालन में SEIAA की 805 बैठक दिनांक 06.09.23 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. उक्त सम्बंधित प्रकरण SEIAA द्वारा प्रकरण क्र. 8755/2021 जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि., एवं VNS सोल्यूशन्स प्रा. लि., को एम.आई.डी.सी. मालनपुर, घिरौंगी, जिला भिंड (म.प्र.) में प्रस्तावित कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (CBWTF), के स्थापना हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित है।
2. Original Application No.22/2022(CZ) में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.08.2022. के अनुसार:-

"Para 22: Accordingly, we direct the State Pollution Control Board to submit the report with regard to the Gap analysis (generation and disposal) and on the basis of fresh gap analysis report, the MPSEIAA will take appropriate decision within a time frame.

We further direct the Madhya Pradesh Pollution Control Board to ensure that the facility operates as per environmental norms and must ensure compliances of conditions mentioned above and all other

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

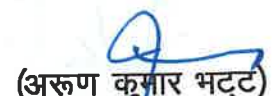
environmental norms and maintain vigil on a regular basis. It must conduct inspection when the unit is functional. If any violation is found, action may be taken as per law. In case any grievances survives, it is open to the aggrieved party to make appropriate application before the State Pollution Control Board in calculating the number of beds and the State Pollution Control Board has to take a decision in accordance with law. The Original Application No. 22/2022 along with I.A. are disposed of accordingly."

3. उपरोक्तानुसार gap analysis रिपोर्ट के आज दिनांक तक submit नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा EA-7 दायर की गई है जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.08.2023 में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :-
"It is said that neither the report as directed by Tribunal with regard to gap analysis (generation and disposal) has been submitted by Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'MPPCB') nor Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as 'MP SEIAA') has taken decision accordingly.
4. It appears that since no time was prescribed by Tribunal, the concerned authorities have not acted in the manner as directed by this Tribunal as above.
5. Learned Counsel for applicant stated that the above authorities be directed to comply their part of action within specified time.
6. We, therefore, dispose of this EA by directing MPPCB to submit report with regard to gap analysis (generation and disposal), as directed by this Tribunal by order dated 23.08.2022, within two months. Thereafter on the basis of fresh gap analysis report, MP SEIAA will take appropriate decision within one month.

उपरोक्त निर्णयानुसार MPPCB को gap analysis रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र लिखा जाये ताकि प्राधिकरण द्वारा शीघ्र निर्णय ली जा सके।

SEIAA द्वारा लिए गए निर्णयानुसार MPPCB से उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार gap analysis रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में SEAC के अनुशंसा पर SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः प्राप्त रिपोर्ट को gap analysis रिपोर्ट के दृष्टिगत अनुशंसा हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

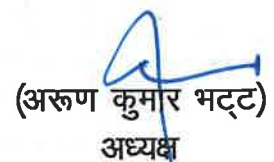

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर **SEIAA** एवं **SEAC** के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. **SEIAA** द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

परिशिष्ट-3

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिजपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनिज पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनिज पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पट्टा रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट द्रव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

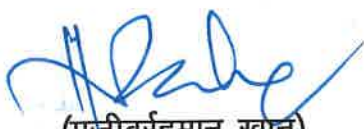

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट-4

1. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. Disposal of waste water.

- PP should ensure disposal of waste water arrangement should be done in such a manner that water supply sources are not impaired.
- PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water. waste water will be not allowed to disposed in natural drain.
- The project not having provision for discharge of excess treated sewage unless proper arrangements are put in place for its safe handling.
- Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

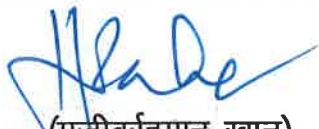
3. Solid Waste Management:

- Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.
 - Adequate measures should be taken to prevent odour emanating from solid waste handling & processing.
- PP should ensure building height, road width, front MOS and side / rear as per approved layout of T & CP as per MPBVR 2012.
 - The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
 - The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

7. For firefighting:-

- PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement should be made available on the project site as per NBC 2016.
- The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
- Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
- As per MPBVR, 2012 rule 42 (3) PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam,) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code 2005. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

8. For Rain Water Harvesting, and Storm water management:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- a. PP should ensure the rain water harvesting recharging pits and these pits should be connected laterally to consume the surplus runoff. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
 - b. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network as proposed. The budget should be included in EMP plan for storm water management.
9. PP should ensure to provide car parking as per MPBVR 2012 and its amendments time to time.
10. **Green belt :-**
- a. The proponent shall develop green belt in an area not less than 10% of plot area in addition to green belt in setback areas. The landscape planning should include plantation of native species. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping.
 - b. as a green belt and landscaped area with regular maintenance and also explore the possibility to plant trees of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Karanj, Kachnaar, Saltree, Gulmohar etc.
 - c. The green belt of the adequate width and density preferably with local species along the periphery of the plot shall be raised if possible so as to provide protection against particulates and noise.
11. PP should ensure to complete the activities listed under ecological remediation, Natural resource augmentation & community resource augmentation for a total amount of Rs. 9.0Lakh.
12. The activities proposed under CER shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities proposed under the CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half yearly compliance report.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

